एफ नं. एच-11012/1/2023-संसद
भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
(संसद अनुभाग)
*****

अटल अक्षय ऊर्जा भवन,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
दिनांक: 20 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **18वीं लोकसभा के चौथे सत्र और राज्यसभा के 267वें सत्र का प्रारम्भ - अनंतिम कैलेंडर (बजट सत्र, 2025) - तत्संबंधी।**

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश दिया गया है कि 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र और राज्यसभा के 267वां सत्र (बजट सत्र-2025) अनंतिम रूप से **31 जनवरी से 13 फरवरी, 2025 तथा 10 मार्च से 04 अप्रैल, 2025** तक शुरू होने वाला है।

2. इस मंत्रालय के संबंध में लोक सभा/राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवंटित अनंतिम दिन निम्नानुसार हैं:

सदन	दिन	दिनांक
लोक सभा	मंगलवार	04 और 11 फरवरी, 2025, 11, 18 और 25 मार्च, 2025, 01 अप्रैल, 2025
राज्य सभा	बुधवार	12, 19 और 26 मार्च, 2025, 02 अप्रैल, 2025

3. संसद के सदनों में स्वीकृत प्रश्नों के संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उत्तरों की प्रतियों की अपेक्षित संख्या उस तारीख से पहले कार्य दिवस पर 1500 घंटे तक संसद को भेजी जानी है, जिस तारीख को प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं।

4. अतः सभी प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित उत्तर संसद अनुभाग को प्रश्नों के **उत्तर की नियत तारीख से दो कार्य दिवस पहले सकारात्मक रूप से प्रातः 10.00 बजे तक प्रस्तुत करें** ताकि उत्तर की अपेक्षित प्रतियां लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय पर या उससे पहले उपलब्ध करा दी जाएं।

(अमित कुमार रावत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-20849151

सेवा में,

1. **अतिरिक्त सचिव और CRCS**
2. **अपर सचिव (सीडी)**
3. **संयुक्त सचिव (सीटीपी)**
4. **संयुक्त सचिव (नीति)**
5. **सभी निदेशक/उप सचिव**

प्रतिलिपि:

1. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय सहयोग राज्य मंत्री (केपीजी) को Addl. PS
3. माननीय सहयोग राज्य मंत्री (एमएम) को Addl. PS
4. सचिव (सहकारिता) के पीएसओ
5. निदेशक (एनआईसी), सहकारिता मंत्रालय – सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ